सं०सं०–03/परी०–BTSC(अधि०)01–16/2024 3922 पटना, दिनांक:– 16/12/2025

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–03/2025 (शल्य कक्ष सहायक), 04/2025 (ई०सी०जी० टेक्नीशियन) एवं 05/2025(एक्स–रे–टेक्नीशियन) के पद हेतु

स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना के विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विज्ञापन सं०–03/2025 (शल्य कक्ष सहायक), 04/2025 (ई०सी०जी० टेक्नीशियन) एवं 05/2025 (एक्स–रे–टेक्नीशियन) के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक–26.04.2025, 03.05.2025 एवं 26.04.2025 को आयोजित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों के परीक्षा का अंक आयोग के Website-www.btsc.bihar.gov.in पर दिनांक–24.06.2025 को प्रकाशित कर दिया गया है।

Computer Based Test में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की Online आवेदनों की Scrutiny विज्ञापन में वर्णित शर्त्तों के अनुसार की गई। अभ्यर्थियों के द्वारा Online आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण–पत्रों के आधार पर **विज्ञापन की कंडिका–5(i)** में अंकित प्रावधान के अनुसार मेधाक्रम में Scrutiny किया गया। **सम्प्रति मात्र विज्ञापन सं०–04/2025 (ई०सी०जी० टेक्नीशियन) से संबंधित अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं Application No. के साथ आयोग के Website-www.btsc.bihar.gov.in/objection-portal पर दिनांक–17.12.2025 से 21.12.2025 के अपराह्न 06:00 बजे तक आपत्ति (यदि हो) आमंत्रित किया जाता है। शेष 02 विज्ञापनों के अधीन आपत्तियाँ आमंत्रित किये जाने के संबंध में अलग से तिथि निर्धारण संबंधी सूचना प्रकाशित की जाएगी।**

अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आरक्षण कोटि, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

CBT परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्ण पाये गये अभ्यर्थियों से आपत्तियाँ आमंत्रित की जा रही हैं, किन्तु उनकी अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनकी अयोग्यता संबंधी तथ्य संज्ञान में आता है या अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित अभिलेखादि त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है एवं उनकी अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

वैसे अभ्यर्थी जिनके Online आवेदन का Scrutiny आयोग द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। केवल Online आवेदन में उनके द्वारा संलग्न अभिलेखों के अनुसार ही विवरणी प्रदर्शित होगी।

उक्त ऑनलाईन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई–मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति समर्पित करने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:-

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र, अंक पत्र (सभी शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि सहित) नहीं रहने के कारण अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।
2. विज्ञापन की कंडिका–1 में अंकित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार 10+2 / intermediate में Biology विषय के साथ उत्तीर्ण नहीं होने पर संबंधित अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।
3. विज्ञापन की कंडिका–1(i) में अंकित शैक्षणिक अर्हता / संस्थानों की मान्यता स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–315(4B), दिनांक–06.10.2025 के माध्यम से प्राप्त परामर्श के आलोक में सुसंगत नियमावली एवं तदालोक में प्रकाशित विज्ञापन में निहित प्रावधान के अनुरूप संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नियमित पाठ्यक्रम में आधार पर प्रदत्त प्रमाण–पत्र मान्य होंगे। साथ ही, Vocational Institute / Skill India / Society / Trust / Distance Education / Open University द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र को अमान्य किया गया है। इस संदर्भ में निम्न बिन्दुओं पर अभ्यर्थियों से सुस्पष्ट एवं साक्ष्यसम्मत आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती है–:
   (क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विज्ञापन में वर्णित शर्त्तों के अनुरूप कतिपय संस्थानों / विश्वविद्यालयों को संबंधित कोर्स संचालन की मान्यता है अथवा नहीं, उक्त बिन्दु पर संशय / अस्पष्टता के कारण वैसे संस्थानों से संबंधित अभ्यर्थियों को अयोग्य श्रेणी में रखा गया है। वैसे अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान को वर्णित कोर्स संचालन की मान्यता के संबंध में साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज करने हेतु अवसर प्रदान किया जाता है। इस क्रम में प्राप्त आपत्तियों / साक्ष्यों / प्रमाणों के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत अग्रतर निर्णय लिया जा सकेगा।
   (ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय संस्थानों / विश्वविद्यालयों के अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण–पत्रों में अंकित Courses के नाम में भिन्नता है (विज्ञापन की कंडिका–1 में वर्णित कोर्स से इतर नाम)। वैसे अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से मान्य / योग्य की श्रेणी में रखा गया है। वैसे अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थानों / विश्वविद्यालयों से इस आशय का प्रमाण–पत्र / साक्ष्य प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा प्राप्त शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की कंडिका–1 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के पाठ्यक्रम, जो बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित होता है, के वर्षवार पाठ्यक्रम के अनुरूप (समरूप सत्रावधि एवं सत्रवार सदृश पाठ्यक्रम की विवेचना सहित) है। संबंधित अभ्यर्थीगण उक्त प्रमाण प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किये जाने पर तत्समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया जायेगा। साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर एवं कोर्स के नाम में भिन्नता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
4. योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण–पत्र (यथा– शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र) दिनांक–**01.04.2025** तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।
5. विज्ञापन के कंडिका–5(i)(b) के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता **संविदा** के आधार पर नियोजित अभ्यर्थियों को दिया गया है। संविदा आधारित नियोजन का साक्ष्य (नियोजन की विभागीय अधिसूचना / कार्यालय आदेश) उपलब्ध कराने पर कार्यानुभव का अंक दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
6. विज्ञापन के कंडिका–5(i)(b) में वर्णित कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक–**04.03.2025** तक की गई है।

7. कार्यानुभव प्रमाण–पत्र विज्ञापन की कंडिका–5(iii) के अनुसार संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अतिविशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निदेशक तथा विज्ञापन की कंडिका–5(i)(b) में उल्लेखित संस्थानों की स्थिति में उक्त संस्थानों के प्रधान द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट–I में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।

8. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण–पत्र यथा– जाति प्रमाण–पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र (EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

9. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण–पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

10. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र **पति** के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। Online Objection में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–15760, दिनांक–02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।

11. स्वतंत्रता सेनानी के नाती–नतिनी/पोता–पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

12. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

13. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से अमान्य किये गये आवेदन/कोटि परिवर्तन/कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः– 1. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के Online आवेदनों की पुनः जाँच की जाएगी, आपत्तियों के निष्पादन एवं जाँचोपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा सकेगा।

अपर सचिव
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

D \2022\O T Assist _2025\Aapti Suchna\AAPTI SUCHANA (Before Counselling)_3